राजस्थान सरकार
वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग

क्रमांकः एफ.5(थ–75)कोष / IFMS/e-GRAS-29/ 6008 दिनांक 09/1/2025

परिपत्र

विषयः– एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के अन्तर्गत ई–ग्रास पर HDFC Bank के माध्यम से राजस्व प्राप्त किए जाने के संबंध में।

राज्य सरकार की प्राप्तियों के लिए जमाकर्त्ताओ की सुविधा में वृद्धि करते हुए एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के अन्तर्गत ई–ग्रास पर भारतीय रिजर्व बैंक के पत्रांक बैं.वि.(जय.) सं. S215/01.56.004/2021-22 दिनांक 13.08.2021 द्वारा सार्वजनिक बैंकों को राजस्व प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जा रहा है।

इसी क्रम में जमाकर्त्ताओं को ई–ग्रास पर HDFC Bank के नेटबैंकिंग से भुगतान की सुविधा का विकल्प भी दिनांक 20.01.2025 से उपलब्ध करवाया जा रहा है जिसके माध्यम से ऑनलाइन कर / राजस्व जमा करवाया जा सकता है।

समस्त राजस्व अर्जित करने वाले विभाग जमाकर्त्ताओं को उक्त सुविधाओं हेतु अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करेगें। राजस्व संग्रहण, लेखांकन की बैंक / ई–कोष के स्तर पर निर्धारित प्रक्रियायें वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 20.01.2020 व संशोधन पत्र दिनांक 29.10.2024 के अनुक्रम में ही संचालित किया जाना अनिवार्य होगा।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

6008
09/1/2025

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक/सिविल लेखा परीक्षा/वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान, अजमेर।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर
9. आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
10. उपशासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
11. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, सचिवालय, जयपुर
12. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (जी.एण्ड.टी.) विभाग, सचिवालय, जयपुर
13. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (मार्गोपाय) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
14. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय, जयपुर।
15. सहायक महाप्रबन्धक (बैंकिंग) भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर।
16. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी/कोषाधिकारी, ई–कोषालय, जयपुर।
17. संयुक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग, सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करें।
18. वरिष्ठ निदेशक (आई.टी.), एन.आई.सी. एल.आई.सी. भवन, जयपुर।
19. उप उपाध्यक्ष, स्टेट हैड, एच.डी.एफ.सी. बैंक, ए–1, देवनगर, टोंक रोड़, जयपुर को प्रेषित कर समय पर दैनिक स्क्रॉल आर.बी.आई. ई–कुबेर व आई.एफ.एम.एस. पर उपलब्ध करवाने तथा डी.एम.एस. के मासिक प्रेषण सुनिश्चित करने हेतु।

(भूपेश माथुर)
संयुक्त शासन सचिव